प्रारूप 21 घ (नियम 64 देखिये)

(आकिस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

179 — सहाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी

470 सब्जी मण्डी के पास पो0 रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गये है।

उस सदन में, श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थान :राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्याालय, भीलवाड़ा

दिनांक : 02 मई, 2021

(विकास पंचोली) 02/05/2021 रिटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) गंगापुर 179 — सहाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(विकास पंचोली) रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन बैत्र (179) सहाड़ा (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट)

FORM-21D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election

under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 179-SAHARA Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that -

SMT. GAYATRI TRIVEDI

470 SABJI MANDI KE PASS PO. RAIPUR DISTRICT BHILWARA (RAJ.)

Sponsored by - Indian National Congress

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

death of SH. KAILASH CHANDRA TRIVEDI having been declared vacant.

Place: Govt. polytechnic College, Bhilwara

Date: 02-05-2021

(Vikas Pancholi) 02/05/2024

Returning Officer

(SDO & SDM), Gangapur

179- Sahara Assembly Consituency

(विकास पंचोली) रिटर्निंग अधिकारी

ियानसभा निर्वाचन सैत्र (179) सहाड़ा (अण्ड अविकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)